न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज0

सीन अधिकारी : श्री रवि प्रकाश, आर०ए०एस०

व वाद पत्र संख्या : 67/2022

IS No. : 2022/123

–: वादी :– **बनाम** **–: प्रतिवादी :–**

तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर।

1. चैनाराम पुत्र भंवरराम कौम–गुर्जर निवासी– दागला तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर,।

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी, अधिनियम, 955 **तारीख रजू :– 22.04.2022**

गस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण पैरोकार सरकार।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, श्री उम्मेदराज चौधरी, अधिवक्तागण, प्रतिवादी।

–:: निर्णय ::– **दिनांक :– 17.10.2024**

वादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने ाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि **खसरा नंबर 308/2 कुल रकबा 0.1619 क्टर किस्म चाही प्रथम सरहद मौजा– निमाज–1 तहसील–जैतारण** में स्थित है क्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के ातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर ***वाणिज्यिक उपयोग (पक्की दूकानें बनाकर)*** कर खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी एक्ट की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल केया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं। दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत **दिनांक 18.04.2022** को पैदा हुआ जब भू. अ.निरीक्षक ने वादी को प्रतिवादीगण द्वारा जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से अकृषि **(पक्की दूकानें बनाकर)** का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 92क, 63 आर.टी एक्ट 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य सिद्धि जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। है। बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने इनके

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी चैनाराम की ओर वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 151 सीपीसी पेश हुआ, प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 151 सीपीसी स्वीकार किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को अपास्त किया गया एवं जवाब वादपत्र पेश करने का समय दिया गया।

प्रतिवादी ने जवाब वादपत्र प्रस्तुत किया कि पद संख्या 01 का जवाब है कि पैरा संख्या 01 स्वीकार है। वादपत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि प्रतिवादी ने दिनांक 18.07.2022 को खसरा नंबर 308/2 का रकबा 225.18 वर्गमीटर को व्यवसायिक करवाने हेतु नगरपालिका जैतारण में पत्रावली पेश कर दी है जिसकी रसीद जवाबदावें के साथ पेश है। प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टिनेन्सी एक्ट की शर्तो को कभी भी भंग नहीं किया हे। प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि संपरिवर्तन वाणिज्यिक परियोजनार्थ में तब्दील करवाकर ही उक्त भूमि को अपने उपयोग, उपभोग में लेगा। प्रतिवादी की कभी भी यह मंशा नहीं रही है कि राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाये। वादपत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि प्रतिवादी टिनेन्सी एक्ट की शर्तो का पालन कर रहा है व राज्य सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने की कभी भी मंशा नहीं रही है। प्रतिवादी उक्त विवादित आराजी को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ में परिवर्तन करवाकर ही उक्त भूमि उपयोग, उपभोग में लेगा। प्रतिवादी ने इस हेतु नगरपालिका जैतारण में वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु पत्रावली पेश कर रसीद भी कटवा ली है। वादपत्र के पद संख्या 04 का जवाब है कि वादी को दिनांक 18.04.2022 को किसी प्रकार का कोई बिनायवाद प्रतिवादी के विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है। वादपत्र के पद संख्या 05 का जवाब है कि यह पद पद गौरबाला अदालत के है। वादपत्र के पद संख्या 06 का जवाब है कि इस पद में वादी की इस्तदुआ है, जो कानूनन स्वीकार्य नहीं होने से वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का हनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से ह स्पष्ट है कि खातेदार प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त खातेदारी आराजी खसरा नंबर 308/2 ुल रकबा 0.1619 बीघा, मौजा निमाज-1 जिसकी किस्म चाही प्रथम है, अर्थात कृषि ोग्य भूमि है का बिना विधिक प्रक्रिया का अनुपालन किए एवं बिना सक्षम प्राधिकारी ा अनुज्ञा प्राप्त किए मौके पर पक्की दूकानें बनाकर आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लेया जा रहा है। पटवारी निमाज की मौका फर्द दिनाँक 18.04.2022 से इस तथ्य की भली-भाँति पुष्टि होती हैं। खातेदार प्रतिवादी ने इस हेतु नगरपालिका जैतारण में ाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु पत्रावली पेश कर दिनांक 18.07.2022 रसीद भी कटवा ली। परन्तु प्रतिवादी को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी द्वारा संपरिवर्तन आदेश न्यायालय हाजा को प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं खातेदार द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर पक्की दूकाने बनाकर अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता हैं, तथा यह खातेदार के खातेदारी अधिकारों का विलोपित करते हुए बेदखल

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

जानें का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी तहसीलदार, रण का वाद-पत्र भली-भाँति साबित होता है, अतः प्रतिवादी खातेदार को वादग्रस्त जी में से खातेदारी, अधिकारों को विलोपित करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल ा हुए वादग्रस्त आराजी सिवाय चक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत् रहेगा।

-: आदेश :-

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी ानियम, 1955 भली-भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी ुद मौजा- निमाज-1, तहसील- जैतारण, खसरा नम्बर 308/2, रकबा 0.1619 ा, किस्म चाही प्रथम, में से 19F×105F = 1995 वर्गफीट (0.0185 हैक्टेयर) भाग जो कि -पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित ते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल ा जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न ारी मौका रिपार्ट में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम । इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली ो कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-ब्यावर)

र्णय आज दिनांक 17/10/2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-ब्यावर)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :– सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

इजलास :– श्री रवि प्रकाश, आर0ए0एस0

प्रार्थी :– बनाम अप्रार्थीगण :–

. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–ब्यावर
राज0।

1. चैनाराम पुत्र भंवरराम कौम–गुर्जर निवासी– दागला तहसील–जैतारण जिला–ब्यावर,।

स्व वादपत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा , / राजस्थान काश्तकारी नियम, 1955 मु0न0 :रा0वा0 स0: 67/2022

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुबरु ....–........ व हाजरी तहसीलदार जैतारण, वादी मिनजानिब मुद्धई व श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर प्रतिवादीगण जानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–177, थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली–भाँति साबित होनें से स्वीकार किया जाता है। प्रस्त आराजी सरहद मौजा– निमाज–1, तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 308/2, रकबा 619 बीघा, किस्म चाही प्रथम, में से 19F×105F = 1995 वर्गफीट (0.0185 हैक्टेयर) भाग कि वाद–पत्र एवं मौका रिपोर्ट में अंकित है, से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकारों को पित करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करते हुए उस पर से प्रतिवादी को बेदखल ा जाए। तहसीलदार जैतारण को निर्देश दिए जाते हैं कि इस आदेश के संलग्न पटवारी ा रिपार्ट में अंकित भाग को सिवायचक दर्ज करते हुए भू नक्शे में तरमीम करें। पत्रावली कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

त .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–...... स सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 17/10/2024 को जारी या गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

(रविप्रकाश RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा	05	00
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः–			मिजानः–	06	00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।